भारत सरकार **Government of India**

रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**

रेलवे बोर्ड **(Railway Board)**

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

RBA NO. 44/2021

No. 2015/AC-II/21/11

New Delhi, dated 10.8.2021

PFAs
All Zonal Railways/PUs

Sub: Simplification of Pension Procedure-Submission of Undertaking by retiring Railway employees.

Ref:-1. Board's letter No. FE(III)/2008/PN1/13 dated 17.03.2015.

2. Board's letter of even no. dated 02.07.2020(RBA No. 55/2020)

3. Board's letter no. 2010/AC-II/21/3(part-I) dated 29.6.2021 (RBA No. 36/2021)

Please refer to Board's letter ibid requesting to submit scanned copy of Letter of Undertaking filled by the retiring employee in the prescribed format alongwith the e-PPO to the Bank to ensure early commencement of first pension to the retired employee. However, instances have been brought to the notice of Board that this LOU is not being submitted in the prescribed format (copy enclosed). Further, in many cases the scanned copy is not readable/incomplete. This is resulting not only in manual intervention in processing of the e-PPOs but also delayed commencement of first pension.

Kindly direct the concerned officials to follow these instructions scrupulously. A line of confirmation regarding compliance in the matter may be sent to Board by 31.8.2021.

DA:As above

10/8/21

(Ajay Bartwal)
Joint Director Finance/CCA
Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.44/2021

सं.2015/एसी II/21/11 नई दिल्ली, दिनांक 10.08.2021

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण - सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करना।

संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 17.03.2015 का पत्र सं.एफ(ई)।।।/2008/पीएन1/13
2. बोर्ड का दिनांक 02.07.2020 (आरबीए सं.55/2020) का समसंख्यक पत्र।
3. बोर्ड का दिनांक 29.6.2021 (आरबीए सं.36/2021) का पत्र सं.2010/एसी II/21/3 (भाग-i)।

कृपया बोर्ड के उक्त पत्र का अवलोकन करें, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी को निर्धारित फार्मेट में शपथ-पत्र और ई-पीपीओ की स्कैन की हुई प्रतिलिपि बैंक को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी को पहली पेंशन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। बहरहाल, बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि इस शपथ-पत्र को निर्धारित फार्मेट (प्रतिलिपि संलग्न) में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, अधिकांश मामलों में स्कैन की हुई प्रतिलिपि पढ़ने योग्य नहीं है/अधूरी है। इसके परिणामस्वरूप ई-पीपीओ की कार्रवाई शुरू करने के लिए मैन्युअली हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और पहली पेंशन शुरू करने में भी विलंब हो रहा है।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन अनुदेशों का विवेकपूर्ण ढंग से अनुपालन करने के निदेश दिए जाएं। बोर्ड कार्यालय को इस संबंध में अनुपालन रपट 31.08.2021 तक भिजवाई जाए।

संलग्नक: यथोक्त।

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक, वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड